# <u>भर्ती हेतु सूचना</u>
## <u>वरिष्ठ परामर्शदाता- प्रशिक्षण</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र ;एनएचएसआरसी नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतया संविदात्मक आधार पर उपर्युक्त पद के लिए योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

**तैनाती का स्थान :**प्रशिक्षण प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

**योग्यता, अनुभव और दक्षता** :

१. **शैक्षणिक योग्यता**
किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जन स्वास्थ्य या संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा। स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में स्नातक होना वांछनीय होगा।

२. **अनुभव**
स्वास्थ्य प्रणालियों में विशेषकर प्रशिक्षण प्रबंध और संबंधित पदों पर कार्य करने का १० या अधिक वर्षों का अनुभव। राष्ट्र/राज्य स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रणाली में कार्य अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

३. **वांछित दक्षता**
(१) अंग्रेजी और हिंदी भाषा में बात करने की दक्षता अनिवार्य है
(२) अंग्रेजी में रिपोर्ट विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन का ज्ञान और प्रवीणता अनिवार्य है
(३) एमएस-ऑफिस और विन्डोज़ सॉफ्टवेयर में प्रवीणता बहुत जरूरी है
(४) प्राय: यात्रा करने का इच्छुक

**आयु:** आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को आवेदक (व्यक्ति) की आयु 60 वर्ष तक होनी चाहिए।

**कार्य का ब्यौरा/दायित्व:**

वरिष्ठ परामर्शदाता-प्रशिक्षण प्रभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में तैनात किया जाएगा और वह उपायुक्त-प्रशिक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रशिक्षण प्रभाग के संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार को रिपोर्ट करेंगे।

**प्रमुख कार्य और दायित्व:**

1- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत दिए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता करना।
2- देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उनके साथ समन्वय करना और संस्थान की सुविधाओं, जनशक्ति, प्रशासन और प्रबंध, उसकी प्रशिक्षण क्षमता और वित्तपोषण के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3- प्रशिक्षण डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों के साथ समन्वय करना और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में विमर्श करना।
4- दिल्ली और विभिन्न राज्यों में आरसीएच प्रशिक्षण, पीडीसी प्रशिक्षण टीएमआईएस प्रशिक्षण और पीडीसी ओर पीएमएसयू के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली में एनआईएचएफडब्ल्यू के साथ समन्वय करना; एनआईएचएफडब्ल्यू द्वारा तैयार प्रशिक्षण रिपोर्टों की समीक्षा और विश्लेषण करना।
5- प्रशिक्षणों में मानक प्रोटोकॉल तैयार करना, स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षणों, ढांचागत सुविधाओं ओर सेवा प्रदायगी के लिए गुणवत्ता आश्वासन जांचसूची की निगरानी करना।
6- प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न डेटा, सर्वेक्षण रिपोर्टों को संकलित करना, और राज्य विशेष के लिए डेटा बेस बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विश्लेषण करना।

7- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की रिपोर्टों की समीक्षा और विश्लेषण करना तथा राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं, व्यापक प्रशिक्षण योजनाओं, प्रशिक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना और कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कार्य विंदु तैयार करना।**

8- **प्रशिक्षण की जरूरतों और प्रशिक्षण के भार के आधार पर व्यापक प्रशिक्षण योजना (प्रशिक्षणों के प्रकार सहित सीटीपी) तैयार करने में राज्यों की सहायता करना; ब्लॉक, जिला और राज्यों में समरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षणों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित डेटाबेस का रखरखाव और अद्यतन करना।**

9- **व्यापक प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षणों (विशेषकर कौशल प्रशिक्षणों), कार्यक्रम कका निष्पादन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू)/सीटीआई, राज्यों के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों का दौरा करना तथा कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए कार्य की मदों और संशोधित आरसीएच प्रशिक्षण आर्थिक मानदंडों सहित जिला, राज्यों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**

10- **दिल्ली या किसी अन्य राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग को सहयोग करना।**

11- **प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आठ पायलट राज्यों में विकसित किए गए प्रशिक्षण प्रबंध सूचना प्रणाली (टीएमआईएस) सॉफ्टवेयर का विस्तार करने और उसे संपूर्ण भारत में शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सहयोग करना। एनआईएचएफडब्ल्यू, एसआईएचएफडब्ल्यू/सीटीआई/टीएमआईएस परामर्शदाताओं और राज्यों के सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों तथा सभी हितधारकों के साथ (टीएमआईएस के वरिष्ठ समन्वयक के रूप में) समन्वय करना।**

12- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के पुनरीक्षण/संशोधन, एचआरएच के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति निर्माण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग को सहयोग करना।**

13- **एनआईएचएफडब्ल्यू और प्रत्येक एसआईएफएचडब्ल्यू/सीटीआई में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएएस) की स्थापना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सहयोग करना।**

14- **डिजिटलीकरण और ई-लर्निंग गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित देश में प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए ढांचागत सुविधाओं के विश्लेषण में प्रशिक्षण प्रभाग को सहयोग करना।**

15- **देश और विश्व में मौजूद प्रशिक्षणों की सर्वश्रेष्ठ विधियों और प्रशिक्षण डेटाबेस प्रबंध का विश्लेषण करना।**

16- **पर्यवेक्षक/रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सौंपी गई प्रशिक्षण संबंधी कोई अन्य गतिविधि करना।**

**प्रस्तावित प्रतिपूर्ति**

**90,000/- रु. से 1,30,000/- रु. तक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा (अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर)**

**आवेदन की प्रक्रियाः** कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता हैं के वह निर्धारित आबेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के ई-मेल nhm.recruitment@nhsrcindia.org में दिनांक **17-Apr-2017** को अपराह्न्न **4** बजे तक अवश्य भेज दे। केवल निर्धारित **TOR** के सहित संलग्न आवेदन पत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।